अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 53 / 16–17

कलावती देवी बनाम् जेहली राय

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदिका कलावती देवी, पे0–स्व0 काली राय, पति–श्री बनारसी राय, सा0–खंधार, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–खंधार नं0–144, जमाबंदी नं0–33, दाग नं0–216, 215, 214, 311, 316, 297 के अंदर रकवा–03–19–00 धूर भूमि से विपक्षीगण जेहली राय, मोहली राय, दोनों पे0–जगदीश राय, सा0–खंधार, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से बताया गया है कि प्रासंगिक भूमि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत बालचन्द राय व बृहस्पति राय, पे0–किरपाली राय, कौम–घटवार के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत बालचन्द राय नावल्द फौत कर गये। आवेदिका जमाबंदी रैयत बृहस्पति राय की पोती है और प्रासंगिक भूमि की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। आवेदिका उपरोक्त जमाबंदी का मालगुजारी अदा कर रही है। विपक्षीगण का प्रासंगिक जमाबंदी रैयत एवं भूमि से कोई सरोकार नहीं है। विपक्षीगण जबरन प्रासंगिक भूमि अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए हैं। विपक्षीगण मनबढ़ू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा भूमि विवाद पर आवेदिका को जान से मारने की धमकी देते हैं। विपक्षीगण पूर्णतः बाहरी व्यक्ति हैं तथा ताकत के बल पर प्रासंगिक भूमि दखल किये हुए हैं। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि का पर्चा एवं रसीद की छाया प्रति समर्पित करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद विपक्षीगण पर चलने योग्य नहीं है। विपक्षीगण एवं आवेदिका एक ही जमाबंदी रैयत के वारिसान हैं। आवेदिका जमाबंदी रैयत बृहस्पति राय की पोती है और विपक्षीगण जमाबंदी रैयत बृहस्पति राय के परपोते हैं। प्रासंगिक भूमि पर उभय पक्ष का संयुक्त रूप से अधिकार हैं। जमाबंदी रैयत कृपाली राय अपने दो बेटों को छोड़कर फौत कर गये थे, तब उनके दोनों बेटों का नाम अंतिम सर्वेक्षण पर्चा में दर्ज किया गया था। प्रासंगिक भूमि पर उभय पक्ष को संयुक्त बंटावारा तथा सहमति के आधार पर हिस्सेदारी की गई है। साक्ष्य के रूप में चौकीदारी टेक्स, प्रासंगिक भूमि का रसीद, वंशावली की छाया प्रति समर्पित करते हुए आवेदिका के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक–45/रा0, दिनांक–20.01.2021 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक भूमि पंजी–2 में बालचन्द राय व बृहस्पति राय, पे0–किरपाली राय, कौम–घटवार के नाम से दर्ज है। बृहस्पति राय का एक मात्र पुत्र कालीराय है, जिसकी एकमात्र पुत्री आवेदिका कलावती देवी है। आवेदिका और विपक्षीगण के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। विपक्षीगण जबरन प्रासंगिक भूमि, जो कि आवेदिका के हिस्से की भूमि है, को दखल किये हुए हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रासंगिक भूमि आवेदिका की पैतृक व रैयती भूमि है। विपक्षीगण द्वारा जबरन प्रासंगिक भूमि कब्जा किया गया है। अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

04/01/22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

04/01/22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Subhash Chandra Choudhary

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:17:11 +05:30
Location: 192.168.1.51